जिसका प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 को कोई विधिक अधिकार नहीं है। उक्त विवेचन से वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी आदेश के पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम चक जोहपुरा की सरहद में स्थित वादीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 664/5 रकबा 0.70 के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नहीं करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.6.18 को कैम्प कोर्ट जोहपुरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)